न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 31/2021

प्रार्थी

विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत, काछौली तह. पिण्डवाडा ।
2. श्रीमती तुलसीदेवी पत्नि श्री सोहनसिंह निवासी खाखरवाडा ग्राम पंचायत काछौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

दिनांक 29.12.2021

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी दो के हक में पट्टा संख्या 35 दिनांक 07.03.2017 एवं प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 05.01.2017 क्षेत्रफल 720 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक दिनांक 18.08.2021 को उपस्थित हुए. इसके उपरान्त अप्रार्थी संख्या एक द्वारा किसी भी प्रकार की उपस्थिति नही दी गई एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या दो द्वारा किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की गई।

प्रार्थी की ओर से श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी सिरोही द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के हक मे विधि विरुद्ध पारित पट्टा संख्या 35 दिनांक 07.03.2017 एवं प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 05.01.2017 क्षेत्रफल 720 वर्गफीट का नियम 157(2) राजस्थान पंचायत राज.नियम 1996 के तहत् जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो अति निर्धन होने एवं अन्य कोई भूखण्ड नही होने का कोई उल्लेख नहीं है। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है, इस [illegible] पंचायत को आर्थिक क्षति हुई है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो को जारी विक्रय विलेख की भूमि [illegible] सत्यापन जांच अधिकारी द्वारा किए जाने पर पट्टा भूमि [illegible] पर अप्रार्थी संख्या [illegible] का कोई कब्जा नहीं पाया गया, जिससे अप्रार्थी संख्या दो [illegible] 157(2) के तहत [illegible] है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो को अनुचित [illegible] से अप्रार्थी संख्या एक द्वारा विधि विरुद्ध पट्टा संख्या 35 दिनांक [illegible] जारी किया गया है, जो [illegible] किए जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:56:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या एक दिनांक 18.08.2021 को उपस्थित हुए. इसके उपरान्त अप्रार्थी संख्या एक द्वारा किसी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं दी गई एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया गया एवं दो की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं दी एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया गया। पूर्व में इनको कई अवसर प्रदान किए जा चुके है। अतः अप्रार्थी संख्या एक व दो का जवाब देने का अवसर बन्द किया जाता है एवं न ही अप्रार्थी संख्या एक व दो बहस हेतु नियत तिथि पर उपस्थित हुए। अतः प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी पक्ष की सुनी गई एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलिभॉति अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा संख्या 35 दिनांक 07.03.2017 को 720 वर्गफीट का जारी किया गया है। नियम 157(2) इस प्रकार है–

ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह/गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी झोंपड़ी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्गगज तक कब्जे के मुफ्त विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्ररूप 23ख में) ऐसी महिला के नाम से जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।

विचारणीय प्रकरण में जारी पट्टा नियम 157(2) के तहत जारी किया गया है, जिसमें नियम 157(2) की पालना नहीं की गई है। जो निम्न प्रकार है– अप्रार्थी संख्या दो का एक आवासीय मकान ग्राम खाखरवाडा में स्थित है, जिससे अप्रार्थी संख्या दो नियम 157(2) के तहत पात्रता नहीं रखता है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) हेतु नियम 146 के अन्तर्गत भूमि का मौका निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचों की मौका कमेटी का गठन कर मौका निरीक्षण में अप्रार्थी संख्या दो का पुराना कच्चा आवास बताया गया, जबकि जांच कमेटी द्वारा जांच करने पर मौके पर अप्रार्थी संख्या दो का किसी भी प्रकार कोई कब्जा नहीं पाया गया। यह है कि नियम 157(2) के तहत आवासहीन व भूमिहीन व्यक्ति को आबादी भूमि में विक्रय विलेख जारी करने का अधिकार है, परन्तु अप्रार्थी संख्या दो के पास आवासीय मकान मय भूखण्ड के होते हुए भी विक्रय विलेख जारी किया गया है। इस संबंध में अप्रार्थी संख्या दो ने भी किसी भी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त अनियममितताओं एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से ग्राम पंचायत काछौली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 35 दिनांक 07.03.2017 को यह न्यायालय न्यायसंगत नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत काछौली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 35 दिनांक 07.03.2017 को 720 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:56:47 IST
Reason: SelfAttested

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner